(1)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5103-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-01-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 231/अपील/2013-14.

---

रमेश नाई तनय रामसजीवन नाई

निवासी- ग्राम पथरहा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0

.....निगराकार

**बनाम**

श्रीमती चंन्द्रवती पत्नीरामजी मिश्रा

निवासी- ग्राम कुड़ी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

---

श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता, आवेदक

श्री राजेन्द्र पाण्डेय अभिभाषक, अनावेदक

---

**:: आ दे श ::**

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 12-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी अनावेदक चन्द्रवती है । अनावेदक ने तहसील न्यायालय सीतापुर तहसील मउगंज के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पेश कर वादग्रस्त भूमि से आवेदक को बेदखल कर कब्जा वापस दिलाये जाने का निवेदन किया था। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 06/अ-70/11-12 आदेश दिनांक 23-01-2012 के द्वारा आवेदन स्वीकार कर आवेदक को

वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। आवेदक ने उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष पेशी की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07-1-2014 से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत मानते हुए अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध यह अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 231/अपील/13-14 को दर्ज कर दिनांक 12-01-2017 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका ने स्वयं की भूमि नक्शा तरमीम उपरांत कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक का जबाव प्राप्त किया। नायब तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया है तथा स्वयं स्थल निरीक्षण करने के उपरांत दिनांक 23-01-2012 को आदेश पारित कर आवेदक को भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये हैं। नायब तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया अपनाकर एवं आवेदक का जबाव प्राप्त करने के उपरांत आदेश पारित किया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मउगंज एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी यथावत रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 12—01-2017 स्थिर रखा जाता है।

4/02/19.

**(आर.के.मिश्रा)**
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर